



म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

ब्लाक नंबर 2, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/2091

दिनांक 12.07.2013

आदेश

निर्णय लिया गया है कि म.प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-11-12/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 01 सितम्बर 2012, जो गृह भाड़ा भत्ता की दरों में पुनरीक्षण किये जाने से सम्बंधित है, को यथावश्यक संशोधन सहित शासकीय सेवक के स्थान पर कम्पनी कार्मिक प्रतिस्थापित करते हुये उन कार्मिकों, जिनकी सेवाएं पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल से कम्पनी को पूर्ण रूप से अंतरित की गई है हेतु, दिनांक 01 जुलाई 2013 से ग्राह्य किया जाए ।

तदनुसार, गृह भाड़ा भत्ते की दरें दिनांक 01 जुलाई 2013 से निम्नानुसार पुनरीक्षित मानी जाएंगी :-

क्र.	शहर / कस्बे की आबादी (वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर)	गृह भाड़ा भत्ते की दर (वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग का प्रतिशत)
1.	2.	3.
1.	7 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों / अधिकारियों हेतु	10
2.	3 लाख से 7 लाख तक की आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों / अधिकारियों हेतु	7
3.	50,000 से 3 लाख आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों / अधिकारियों हेतु	5
4.	50,000 से कम आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों / अधिकारियों हेतु	3

आवास व्यवस्था एवं गृह भाड़ा भत्ता सम्बंधी शेष प्रावधान यथावत लागू रहेंगे ।

आदेशानुसार

Wael

(के.के. सक्सेना)

मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स एवं आई.टी)

म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर

क्रमशः ..2..

दिनांक 12.07.2013

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/2092

प्रतिलिपि-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. मुख्य अभियंता (मा.सं.वि.सं.)/ (सी.आर.ए.)/ (टी.एण्ड सी.)/ (टी.एण्ड पी.)/ (योजना एवं ऊर्जा पद्धति)/ (अउदा-निर्माण)/ (अउदा-संधारण एवं निरीक्षण)/ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र)/ (सी.आर.ए.)/ (सिविल-ट्रांसमिशन), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
3. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ट्रांसमिशन स्टोर), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
5. अधीक्षण अभियंता (टी.एण्ड सी.)/ (अउदा-निर्माण)/ (अउदा-संधारण)/ (सिविल-ट्रांसमिशन)/ 400 के.व्ही उपकेन्द्र वृत्त, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,
6. संयुक्त निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
7. कार्यपालन अभियंता (परीक्षण)/ (संचार)/ (अउदा-निर्माण)/ (अउदा-संधारण)/ (सिविल-ट्रांसमिशन) / (उपकेन्द्र)/ (कर्मशाला)/ (400 के.व्ही. परीक्षण) संभाग, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,
8. उप निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
9. कम्पनी सचिव/ कल्याण अधिकारी/ सहायक सांख्यिकी अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
10. निज सचिव संबद्ध प्रबंध निदेशक/ निदेशक (तकनीकी), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
11. क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/ भोपाल/ इंदौर।
12. वेब मास्टर/ आदेश नस्ती।

(क.के. श्रीवास्तव)
अधीक्षण अभियंता

कार्या.-मुख्य अभियंता (कार्पो.अफेयर्स एवं आई.टी.)
म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर